एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)
पंजीकृत कार्यालय: एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद, हरियाणा - 121003
सीआईएन: L40101HR1975GOI032564
दूरभाष सं. : 0129-2588110, फैक्स नं. : 0129-2278018
वेबसाइट: www.nhpcindia.com, ई-मेल आईडी: companysecretary@nhpc.nic.in

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यों की 45वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 29 सितंबर, 2021 को अपराह्न 3:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नांकित कार्य निपटाए जाएंगे।

सामान्य कार्य :

1. निम्नलिखित पर विचार करना और उसे स्वीकार करना :

   क. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां; और

   ख. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

2. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि और अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

3. श्री निखिल कुमार जैन, निदेशक (कार्मिक) (डीआईएन 05332456) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति, जो आवर्तन-आधार सेवानिवृत हो रहे हैं और पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश की है।

4. श्री यमुना कुमार चौबे, निदेशक (तकनीकी) (डीआईएन 08492346) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो आवर्तन-आधार सेवानिवृत हो रहे हैं और पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश की है।

5. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना, और यदि उपयुक्त समझा जाए, निम्नलिखित प्रस्ताव को एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना :

   संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के उक्त अधिनियम के संगत प्रावधानों के साथ पठित, और कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक), नियम 2014 (उस समय प्रवृत्त किसी सांविधिक संशोधन(नों) अथवा तत्संबंधी पुनःअधिनिगमन सहित) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल को एतदद्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है;

   आगे यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को एतदद्वारा ऐसे सभी कृत्य करने और कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जो इन प्रस्तावों को प्रभावी रूप देने के लिए आवश्यक, उचित अथवा अवश्यंभावी हों।''

विशेष कार्य :

6. श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल (डीआईएन 08645380) को कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त करना और यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित प्रस्ताव को एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना:

   ''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, कंपनी के एसोसिएशन के साथ पठित उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए नियम के अनुसार, श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल (डीआईएन 08645380), जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया था और तदनुसार इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा 01 अक्टूबर, 2020 से अपर निदेशक के रूप नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में कंपनी को उनसे लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त हुआ है कि वे स्वयं को कंपनी के

निदेशक के पद के लिए उम्मीदवार के रूप में पेश करते हैं और एतदद्वारा उन्हें कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर आवर्तन-आधार पर सेवानिवृत होने के पात्र हैं।

7. श्री बिश्वजीत बासु (डीआईएन 09003080) को कंपनी के निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त करना और, यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित प्रस्ताव को एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, कंपनी के एसोसिएशन के साथ पठित उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए नियम के अनुसार, श्री बिश्वजीत बासु (डीआईएन 09003080), जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त किया गया था और तदनुसार इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा 01 जनवरी, 2021 से अपर निदेशक के रूप नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में कंपनी को उनसे लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त हुआ है कि वे स्वयं को कंपनी के निदेशक के पद के लिए उम्मीदवार के रूप में पेश करते हैं और एतदद्वारा उन्हें कंपनी के निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर आवर्तन-आधार पर सेवानिवृत होने के पात्र हैं।

8. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, निम्नलिखित प्रस्ताव को एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना :

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों के साथ पठित धारा 148 और कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक), नियम 2014 (उस समय प्रवृत्त किसी सांविधिक संशोधन(नों) अथवा तत्संबंधी पुनःअधिनिगमन सहित) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के लागत रिकार्डो की लेखापरीक्षा के संचालन हेतु नियुक्त लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण और एतद्द्वारा उसकी पुष्टि निम्नानुसार की जाती है :

(क) 75,000/- रूपए प्रति पावर स्टेशन (यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता, कर और शुल्क को छोड़कर)।

(ख) प्रमुख लागत लेखापरीक्षक द्वारा सभी पावर स्टेशनों की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों के समेकन और फार्म सीआरए-3 में समेकित लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 75,000/- रूपए, कर और शुल्क अतिरिक्त।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को एतदद्वारा ऐसे सभी कृत्य करने और कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जो इन प्रस्तावों को प्रभावी रूप देने के लिए आवश्यक, उचित अथवा अवश्यंभावी हों।''

9. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, निम्नलिखित प्रस्ताव को एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना :

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों के साथ पठित धारा 148 और कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक), नियम 2014 (उस समय प्रवृत्त किसी सांविधिक संशोधन(नों) अथवा तत्संबंधी पुनःअधिनिगमन सहित) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के लागत रिकार्डो की लेखापरीक्षा के संचालन हेतु नियुक्त लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण और एतद्द्वारा उसकी पुष्टि निम्नानुसार की जाती है :

(क) 75,000/- रूपए प्रति पावर स्टेशन (यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता, कर और शुल्क को छोड़कर)।

(ख) प्रमुख लागत लेखापरीक्षक द्वारा सभी पावर स्टेशनों की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों के समेकन और फार्म सीआरए-3 में समेकित लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 75,000/- रूपए, कर और शुल्क अतिरिक्त।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को एतदद्वारा ऐसे सभी कृत्य करने और कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जो इन प्रस्तावों को प्रभावी रूप देने के लिए आवश्यक, उचित अथवा अवश्यंभावी हों।''

10. कंपनी की उधार सीमा को 30,000 करोड़ रूपए से 40,000 करोड़ रूपए तक बढ़ाने के लिए और यदि उपयुक्त समझा जाए, निम्नलिखित प्रस्तावों को एक **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना :

संकल्प किया जाता है कि 09 सितंबर, 2014 को पोस्टल बैलेट के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित संकल्प के अधिक्रमण में, कंपनी के व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर विदेशी मुद्रा और/ या भारतीय मुद्रा में, जैसा भी आवश्यक हो, धन उधार लेने के लिए कंपनी की सहमति निदेशक मंडल (इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित जिसमें इसके उद्देश्य के लिए गठित कोई भी समिति शामिल होगी) को दी जाती है । यह अनुमति कंपनी अधिनियम, 2013 (कुछ समय के लिए किसी भी वैधानिक संशोधन (संशोधनों) या फिर से अधिनियमन सहित) की धारा 180(1)(सी) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और किसी भी अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों, दिशानिर्देशों आदि और कंपनी के अंतर्नियम के प्रावधानों के अंतर्गत दी जाती है । कंपनी के व्यापार के प्रयोजनों के लिए पैसे उधार लेने के लिए, जैसा कि आवश्यक समझा जा सकता है, चाहे यह विदेशी मुद्रा में और / या भारतीय रुपये में, जो उपयुक्त हो, ऐसे नियम और शर्तें और सुरक्षा के साथ या उसके बिना जैसा कि बोर्ड ठीक समझे, इसके साथ में किसी समय जो कंपनी द्वारा पहले ही उधार लिया गया हो, (व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में कंपनी के बैंकर से प्राप्त अस्थायी ऋण के अलावा) कुल मिलाकर ₹ 40,000 करोड़ (चालीस हजार करोड़ रुपये केवल) से किसी भी समय से अधिक नहीं होगा। जो इस तथ्य की परवाह किए बिना कि उधार की ऐसी कुल राशि किसी भी समय बकाया राशि , कुछ समय के लिए, प्रदत्त पूंजी, प्रतिभूति प्रीमियम और कंपनी की फ्री रिजर्व से अधिक हो सकती है।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए बोर्ड को ऐसे सभी कार्य, मामले, कृत्य और अन्य चीजें करने या करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जो आवश्यक या आवश्यक समझे जाएं अथवा उसके लिए प्रासंगिक हों ।

11. कंपनी की चल और अचल संपत्तियों को बंधक और/या उन पर प्रभार सृजित करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्तावों को **एक विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना ।

संकल्प किया जाता है कि 09 सितंबर, 2014 को पोस्टल बैलेट के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित संकल्प के अधिक्रमण में, कंपनी के व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर विदेशी मुद्रा और/ या भारतीय मुद्रा में, जैसा भी आवश्यक हो, धन उधार लेने के लिए कंपनी की सहमति निदेशक मंडल (इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित जिसमें इसके उद्देश्य के लिए गठित कोई भी समिति शामिल होगी) को दी जाती है । यह अनुमति कंपनी अधिनियम, 2013 (कुछ समय के लिए किसी भी वैधानिक संशोधन (संशोधनों) या फिर से अधिनियमन सहित) की धारा 180(1)(सी) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और किसी भी अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों, दिशानिर्देशों आदि और कंपनी के अंतर्नियम के प्रावधानों के अंतर्गत दी जाती है। जिससे मौजूदा शुल्क, बंधक और कंपनी द्वारा बनाए गए दृष्टिबंधक के अलावा इस तरह के शुल्क, बंधक और दृष्टिबंधक सृजित करना है। ऐसी चल और अचल संपत्तियों और/या संपूर्ण या कंपनी के पूरे उपक्रम का आंशिक, जैसा भी मामला हो, वर्तमान और भविष्य दोनों में और रुपये/विदेशी मुद्रा ऋणों के माध्यम से लिए गए/प्राप्त किए जाने वाले उधारों को सुरक्षित करने के लिए बैंक/वित्तीय संस्थानों/एजेंटों/न्यासियों आदि (बाद में "ऋणदाताओं" के रूप में संदर्भित) के पक्ष में बोर्ड जैसा उचित समझे, ऐसे रूप और तरीके से, अन्य बाह्य वाणिज्यिक उधार, डिबेंचर/बांड आदि जारी करना ऐसे नियमों और शर्तों पर जो कंपनी के व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेने के लिए सुरक्षा हेतु कंपनी के उधारदाताओं के साथ पारस्परिक रूप से सहमत हो सकते हैं।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि एतद्वारा बोर्ड को उधार लेने और/या उपरोक्त बंधक (बंधकों) को और/या प्रभार (प्रभारों) को बनाने के लिए अपेक्षित कराननामा, दस्तावेजों, विलेखों और लेखों को अंतिम रूप देने और ऋणदाताओं के साथ निष्पादित करने के लिए और संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे अन्य सभी कार्य, कृत्य तथा यथा आवश्यक ऐसी सभी चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है और उसे हमेशा अधिकृत माना जाएगा ।

निदेशक मंडल के आदेश से

(सौरभ

चक्रवर्ती)

दिनांक: 28 अगस्त, 2021 कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:
एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003
सीआईएन: L40101HR1975GOI032564

टिप्पणियां :

1. एजीएम में किए जाने वाले विशेष कार्य से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 102 के अनुसार एक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है। निदेशक मंडल ने ऊपर दी गई मद संख्या 6 से 11 को आगामी एजीएम में विशेष कार्य के रूप में शामिल करने पर विचार किया और निर्णय लिया है, क्योंकि वे अपरिहार्य हैं।

2. चल रही कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने दिनांक 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई, 2020 के परिपत्रों (सामूहिक रूप से "एमसीए सर्कुलर" के रूप में संदर्भित) द्वारा, बिना किसी आम सभा की भौतिक उपस्थिति के स्थान पर वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। एमसीए परिपत्रों, अधिनियम के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी एलओडीआर") के अनुसार, कंपनी की एजीएम वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। एजीएम के लिए उपयुक्त स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड ('एनएसडीएल') वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगा।

3. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बैठक में भाग लेने और मतदान करने का पात्र सदस्य स्वयं के बजाय मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है । चूंकि यह एजीएम एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है । तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए, प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इसके साथ संलग्न नहीं हैं।

4. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के लिए गिना जाएगा ।

5. एमसीए परिपत्रों और सेबी के दिनांक 12 मई, 2020 के परिपत्र के साथ पठित 15 जनवरी, 2021 के परिपत्र के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते दिनांक 20 अगस्त, 2021 तक कंपनी/ आरटीए (मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड)/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर, और ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी ।

6. चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, एजीएम के स्थान का रूट मैप इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं है।

7. अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार, श्री निखिल कुमार जैन, निदेशक (कार्मिक) (डीआईएन: 05332456) और श्री यमुना कुमार चौबे, निदेशक (तकनीकी) (डीआईएन 08492346) बैठक में चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होंगे और, पात्र होने की वजह से, स्वयं को पुनःनियुक्ति हेतु प्रस्तुत करते हैं । श्री निखिल कुमार जैन और श्री यमुना कुमार चौबे का कंपनी के निदेशक के रूप में कार्यकाल विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्रमशः 06 फरवरी, 2022 तथा 31 मई, 2023 तक है। कंपनी का निदेशक मंडल

शेष कार्यकाल के लिए उनकी पुनर्नियुक्ति की सिफारिश करता है। एजीएम में नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण, जैसा कि सेबी एलओडीआर के विनियम 36 के तहत आवश्यक है, इसके साथ संलग्न है और नोटिस का भाग है ।

8. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुपालन में, किसी सरकारी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त या पुनः नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उनके पारिश्रमिक को कंपनी द्वारा आम बैठक में अथवा कंपनी अधिनियम की धारा 142 के अनुरूप कंपनी द्वारा आम बैठक में निर्धारित किए गए किसी तरीके से नियत किया जाना होता है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपने दिनांक 19 अगस्त, 2021 के पत्र के माध्यम से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मैसर्स के. जी. सोमानी एंड कंपनी एलएलपी, नई दिल्ली, मैसर्स चतुर्वेदी एंड कंपनी, कोलकाता और मैसर्स पी.सी. बिंदल एंड कंपनी, श्रीनगर को संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है । कंपनी के सदस्यों ने 29 सितंबर, 2020 को आयोजित अपनी 44वीं वार्षिक आम बैठक में निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया था। निदेशक मंडल ने 73 लाख रूपए की राशि वार्षिक लेखा परीक्षा फीस के रूप में अनुमोदित की है, जिसमें 69 लाख रूपए की राशि एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा और 4 लाख रूपए की राशि समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, निदेशक मंडल द्वारा तिमाही लेखों की सीमित समीक्षा के शुल्क के प्रति प्रत्येक तिमाही के लिए एकल व समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए 23 प्रतिशत की राशि तथा कर लेखापरीक्षा के शुल्क के प्रति 30 प्रतिशत की राशि को अनुमोदित किया गया है । उक्त शुल्क में कर, लेवी तथा यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता शामिल नहीं है और इसे संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पारिश्रमिक के तौर पर समान रूप से साझा किया जाएगा । सदस्य बोर्ड द्वारा उपयुक्त समझे जाने पर वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों हेतु उचित पारिश्रमिक पर विचार करने तथा उसे निर्धारित करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत कर सकते हैं ।

9. कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी संप्रेषण (एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट सहित) प्राप्त करने के लिए :

   क. डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट करें।

   ख. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत/ अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे नाम, फोलियो नंबर और सदस्य का पता, पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और सदस्य के पते के समर्थन में किसी भी दस्तावेज की स्व-सत्यापित प्रति (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति कंपनी (ईमेल: agm2021@nhpc.nic.in)/ आरटीए (ईमेल: alankit.nhpc@alankit.com) को लिख पर पंजीकृत/ अपडेट करवा लें।

10. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बहियां शनिवार, 18 सितंबर, 2021 से बुधवार, 29 सितंबर, 2021 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी।

लाभांश

11. निदेशक मंडल ने 11 फरवरी, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 12.50% (1.25 रूपए प्रति इक्विटी शेयर) की दर से अंतरिम लाभांश घोषित किया था, जिसे मार्च, 2021 में अदा किया गया था । वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 3.50% (0.35 रुपए प्रति इक्विटी शेयर) की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। यदि अंतिम लाभांश वार्षिक आम बैठक में घोषित होता है तो, इसका भुगतान करने के लिए कंपनी ने सदस्यों की पात्रता के निर्धारण के लिए शुक्रवार, 17 सितंबर, 2021 को "रिकॉर्ड तिथि" के रूप में नियत किया है। सदस्य, जिनका नाम रिकॉर्ड तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर/ लाभार्थियों की सूची में शामिल है, अंतिम लाभांश प्राप्त करने के

हकदार होंगे। अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है, तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसका भुगतान किया जाएगा ।

12. एजीएम में सदस्यों के अनुमोदन की शर्त पर, अंतिम लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट कर दिया है । जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है, उनके पंजीकृत पते पर लाभांश वारंट/ डिमांड ड्राफ्ट भेजे जाएंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे सीधे अपने बैंक खाते में लाभांश प्राप्त करने के लिए अपना पूरा बैंक विवरण पंजीकृत/ अपडेट करें :

i. अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागियों के साथ, जिनके साथ उन्होंने अपने डीमैट खाते को रखा है, यदि शेयरों को डीमैटिरियलाइज्ड रूप में रखा जाता है, तो डिपॉजिटरी सहभागी(यों) द्वारा आवश्यक फॉर्म और दस्तावेज जमा करके; और

ii. यदि शेयर फिजिकल मोड में हैं तो कंपनी (investorcell@nhpc.nic.in) या आरटीए (alankit.nhpc@alankit.com) के साथ, निम्नांकित प्रस्तुत करके:

क. हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति जिसमें सदस्य का नाम, फोलियो नंबर, बैंक विवरण (बैंक खाता संख्या, बैंक और शाखा का नाम और पता, आईएफएससी, एमआईसीआर विवरण) होगा

ख. पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, और

ग. रद्द किया गया चेक

13. लाभांश पर टीडीएस

01 अप्रैल, 2020 से, शेयरधारकों के लिए लाभांश आय कर योग्य हो गई है । आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") की आवश्यकता के अनुपालन में, कंपनी को अपने शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश पर निर्धारित दरों पर कर काटना होगा । इस संबंध में, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित पर ध्यान दें :

क. निवासी शेयरधारक :

(i) निवासी शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान की गई लाभांश की राशि पर आईटी अधिनियम की धारा 194 के तहत 10% की दर से टीडीएस काटा जाएगा, बशर्ते कि कंपनी के पास शेयरधारक का वैध पैन नंबर उपलब्ध हो।

(ii) तथापि, निम्नलिखित परिस्थितियों में नीचे बताए अनुसार उच्च दरों पर टीडीएस काटा जाएगा :

- **वैध पैन उपलब्ध नहीं है :** यदि पैन वैध नहीं है या कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में वैध पैन उपलब्ध नहीं है, तो आईटी अधिनियम की धारा 206एए के अनुसार 20% की दर से टीडीएस काटा जाएगा ।
- **पैन आधार से लिंक नहीं है :**
  - ➢ व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में, यद्यपि पैन आवश्यक है, लेकिन 30 सितंबर, 2021 (उसे लिंक करने की तिथि के अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि) तक उसके आधार नंबर से लिंक नहीं पाया जाता है, अधिनियम की धारा 206AA के अनुसार टीडीएस की 20% की कटौती यह मानते हुए की जाएगी कि पैन निष्क्रिय हो गया है जब तक कि इस तरह के पैन-आधार को जोड़ने की नियत तारीख को उस समय आगे नहीं बढ़ाया जाता है जब टीडीएस की कटौती की जाएगी।
  - ➢ जिन शेयरधारकों के मामले में पैन उनके आधार से लिंक नहीं है, उनकी सूची आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए रिपोर्टिंग पोर्टल की कार्यात्मकता से प्राप्त की जाएगी ।
  - ➢ यदि व्यक्तिगत शेयरधारक जिसके पास आधार संख्या या नामांकन आईडी नहीं है, वह (i) भारत का नागरिक नहीं है, या (ii) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का है या (iii) असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में रहते हैं, तो ऐसे शेयरधारक उक्त प्रभाव के लिए एक घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि दिनांक 11.05.2017 की अधिसूचना संख्या 37/2017 द्वारा ऐसे व्यक्ति को उसे लिंक करने के लिए सीबीडीटी द्वारा प्रदान की गई छूट को ध्यान में रखते हुए सामान्य दरों पर टीडीएस काटा जा सके ।

- **206एबी धारा के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति :**

  - आईटी अधिनियम की धारा 206AB(3) के अनुसार 'निर्दिष्ट व्यक्ति' के अर्थ के अंतर्गत निवासी शेयरधारकों से, टीडीएस 20 प्रतिशत की दर से काटा जाएगा। 'निर्दिष्ट व्यक्ति' का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने पिछले दो वर्षों से संबंधित दो निर्धारण वर्षों के लिए आय की रिटर्न दाखिल नहीं की है, पिछले वर्ष से ठीक पहले जिसमें कर कटौती की आवश्यकता है, जिसकी आईटी अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय की रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गई है; और उसके मामले में स्रोत पर काटे गए कर और स्रोत पर एकत्रित कर का योग इन पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए 50,000 या अधिक है।
  - टीडीएस की कटौती के समय धारा 206एबी के प्रयोजन के लिए 'निर्दिष्ट व्यक्ति' की सूची, सीबीडीटी के दिनांक 21.06.2021 के परिपत्र संख्या 11/2021 के अनुसार आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्टिंग पोर्टल उपयोगिता से प्राप्त की जाएगी ।

(iii) निम्नलिखित श्रेणी के निवासी शेयरधारकों के मामले में, कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा या कम दर पर टीडीएस काटा जाएगा, जैसा भी मामला हो, बशर्ते वे नीचे निर्दिष्ट दस्तावेजों को जमा करें :

- **फॉर्म 15जी/15एच :** ऐसे मामले में जहां शेयरधारक वैध फॉर्म 15जी (उन व्यक्तियों के लिए, जिनकी कुल आय पर कोई कर देयता नहीं है और आय अधिकतम राशि से अधिक नहीं है जो कर के लिए प्रभार्य नहीं है) या फॉर्म 15एच (60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए कुल आय पर कोई कर देयता नहीं है) प्रदान करता है, कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा ।
- **कम/शून्य कटौती के लिए प्रमाण-पत्र :** यदि शेयरधारक आईटी अधिनियम की धारा 197 के तहत कम/शून्य कटौती के लिए वैध प्रमाण पत्र प्रदान करता है, तो प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट दर के अनुसार कर काटा जाएगा।
- **बीमा कंपनियां :** कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा यदि बीमा कंपनी अपने पास रखी प्रतिभूतियों, जिसके लिए लाभांश घोषित किया गया है, के विवरण को प्रमाणित करते हुए एक स्व-घोषणा प्रस्तुत करती है और इस तथ्य को प्रमाणित करती हैं कि यह आईआरडीए के साथ पंजीकृत है और आईटी अधिनियम की धारा 194 के दूसरे नियम के तहत छूट के लिए पात्र है । उक्त प्रमाण पत्र के साथ पैन और आईआरडीए पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति भी होनी चाहिए ।
- **म्युचुअल फंड :** कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा यदि म्युचुअल फंड अपने पास मौजूद प्रतिभूतियों, जिसके लिए लाभांश घोषित किया गया है, के विवरण को प्रमाणित करते हुए एक स्व-घोषणा प्रस्तुत करता है और इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि यह सेबी के साथ पंजीकृत है और आईटी अधिनियम की धारा 10(23)डी धारा के तहत छूट का दावा करने के लिए पात्र है। उक्त प्रमाण पत्र के साथ उसके पैन और सेबी पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक स्व-सत्यापित प्रति भी होनी चाहिए ।
- **धारा 196 के तहत कवर किए गए अन्य शेयरधारक :** कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा यदि आईटी अधिनियम की धारा 196 के तहत कवरेज के लिए दस्तावेजी साक्ष्य आईटी अधिनियम की धारा 196 के तहत शामिल किए गए अन्य शेयरधारकों जैसे सरकार, आरबीआई या केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगमों के संबंध में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कुछ समय के लिए लागू किसी भी कानून के तहत, अपनी आय पर आयकर से छूट प्राप्त हैं।
- **वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) श्रेणी i और ii :** कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा यदि शेयरधारक स्व-घोषणा प्रस्तुत करता है कि उसे आईटी अधिनियम की धारा 10(23एफबीए) के तहत छूट प्राप्त है, धारा 197ए (1एफ) के तहत टीडीएस से छूट के लिए पात्र है और यह कि वे सेबी विनियमों के तहत श्रेणी i या श्रेणी ii **के** एआईएफ के रूप में स्थापित हैं। स्व-सत्यापित पंजीकरण दस्तावेजों और पैन कार्ड की प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए ।
- **मान्यता प्राप्त भविष्य निधि/ अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि/ अनुमोदित उपदान निधि :** यदि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी परिपत्र संख्या 18/2017 के अनुसार आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा ।
- **राष्ट्रीय पेंशन ट्रस्ट :** कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा यदि आईटी अधिनियम की धारा 197ए (1ई) के तहत टीडीएस से छूट के लिए दस्तावेजी साक्ष्य की स्व-सत्यापित प्रति के साथ स्व-घोषणा और पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति जमा की जाती है ।

- **टीडीएस से छूट की पात्र कोई अन्य संस्था :** यदि किसी निवासी शेयरधारक (ऊपर निर्दिष्ट के अलावा) को आईटी अधिनियम या किसी अन्य कानून या अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार टीडीएस कटौती से छूट दी गई है, तो टीडीएस से छूट की पात्र इकाई के संबंध में वैध स्व-सत्यापित दस्तावेजी साक्ष्य (उदाहरणत: पंजीकरण, अधिसूचना, आदेश आदि की संगत प्रति) प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

(iv) तथापि, निवासी व्यक्तियों को भुगतान किए गए लाभांश पर कोई कर नहीं काटा जाएगा यदि वित्तीय वर्ष के दौरान 5,000/- रूपए से अधिक कुल लाभांश वितरित या वितरित होने की संभावना नहीं है ।

ख. अनिवासी शेयरधारक [विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआईएस) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआईएस) सहित]

(i) आयकर अधिनियम की धारा 195 या 196डी के तहत, जो भी मामला हो, सामान्य रूप से 20% (लागू अधिभार और उपकर अतिरिक्त) की दर से कर कटौती आवश्यक है, जो प्रासंगिक डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है ("डीटीएए/संधि") के लाभकारी प्रावधानों की शर्त के अधीन होगी।

(ii) अधिनियम की धारा 90 के अनुसार, अनिवासी शेयरधारक (एफआईआई/एफपीआई सहित) के पास भारत और शेयरधारक के कर निवास वाले देश के बीच डीटीएए के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प उपलब्ध है, यदि वे शेयरधारक के लिए अधिक फायदेमंद हैं। इस उद्देश्य के लिए, अर्थात कर संधि का लाभ उठाने के लिए, अनिवासी शेयरधारक को निम्नलिखित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे :

- भारतीय आयकर प्राधिकरण द्वारा आवंटित पैन की स्व-सत्यापित प्रति । यदि पैन उपलब्ध नहीं है, तो आयकर नियम, 1962 के नियम 37बीसी के अधीन निर्धारित विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- उस देश के कर प्राधिकरणों से, जिसका शेयरधारक निवासी है, प्राप्त वैध टैक्स रेजिडेंसी प्रमाण-पत्र की (वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वैध) स्व-सत्यापित प्रति;
- फॉर्म 10एफ में स्व-घोषणा।
- एजीएम की सूचना के साथ संलग्न **अनुलग्नक ए** के अनुसार लेटरहेड पर विधिवत हस्ताक्षरित व मुहर लगी स्व-घोषणा।
- करों की कम कटौती, यदि लागू हो, के लिए आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित किसी अन्य दस्तावेज की स्व-सत्यापित प्रति ।

(iii) इसके अलावा, यदि अनिवासी शेयरधारक कम/ शून्य दर पर टीडीएस की कटौती का दावा करने के लिए पात्र है, तो टीडीएस को ऐसी कम/ शून्य दर पर काटा जाएगा, बशर्ते नीचे निर्दिष्ट दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाए :

- आयकर प्राधिकरण से प्राप्त धारा 197 या 195(3) के तहत कम कटौती प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो । विदेशी बैंक की भारतीय शाखा के मामले में, कम कटौती प्रमाण पत्र के साथ एक स्व-घोषणा देनी होगी जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि आय भारतीय शाखा द्वारा अपने खाते पर प्राप्त की जाती है न कि विदेशी बैंक की ओर से और इसे भारतीय शाखा की कर योग्य आय में शामिल किया जाएगा।
- यदि किसी अनिवासी शेयरधारक को आईटी अधिनियम या किसी अन्य कानून जैसे संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947, आदि के प्रावधानों के अनुसार टीडीएस से छूट दी गई है, तो छूट की पुष्टि करने वाले आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

(iv) यह नोट किया जा सकता है कि ऐसे अनिवासी शेयरधारकों के मामले में, जिनके पास भारत में एक स्थायी प्रतिष्ठान (पीई) है और जो आईटी अधिनियम की धारा 206एबी(3) के अनुसार 'निर्दिष्ट व्यक्ति' यानी वह व्यक्ति जिसने पिछले वर्ष से ठीक पिछले दो वर्षों से संबंधित दो निर्धारण वर्षों के लिए आय की रिटर्न दाखिल नहीं की है जिसमें कर कटौती की आवश्यकता है, जिसके लिए धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय की रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गई है; और उसके मामले में स्रोत पर काटे गए कर और उसके मामले में स्रोत पर काटे गए कर और स्रोत पर एकत्रित कर का योग इन पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए 50,000 या अधिक है, तो ऐसे मामले में कर कटौती 40% (लागू अधिभार और उपकर अतिरिक्त) की दर से की जाएगी।

टीडीएस की कटौती के समय, धारा 206एबी के प्रयोजन के लिए 'निर्दिष्ट व्यक्ति' की सूची, सीबीडीटी के दिनांक 21.06.2021 के परिपत्र संख्या 11/2021 के अनुसार आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्टिंग पोर्टल उपयोगिता से प्राप्त की जाएगी ।

यदि किसी अनिवासी शेयरधारक का नाम रिपोर्टिंग उपयोगिता के अनुसार 'निर्दिष्ट व्यक्ति' की उपरोक्त सूची का हिस्सा बनता है, तो 40% की दर से तब तक कर काटा जाएगा (लागू अधिभार और उपकर अतिरिक्त) जब तक कि अनिवासी शेयरधारक के पास भारत में स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है । यदि अनिवासी शेयरधारक के पास भारत में स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है, तो अनिवासी शेयरधारक को यह सुनिश्चित करने के लिए विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि करों को 40% (लागू अधिभार और उपकर अतिरिक्त) की इतनी उच्च दर न रखी जाए।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी आवासीय स्थिति, पैन, आईटी अधिनियम के अनुसार श्रेणी को कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट - अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (भौतिक मोड में रखे गए शेयरों के मामले में) और डिपॉजिटरी (डीमैट मोड में रखे गए शेयरों के मामले में) के साथ पूर्ण और/ या अपडेट करें ताकि टीडीएस की कटौती उपयुक्त रूप से की जा सके।

इसके अलावा, टीडीएस छूट/कम कटौती का दावा करने के लिए उपर्युक्त वर्णित दस्तावेजों को शेयरधारकों द्वारा 17 सितंबर, 2021 को 11:59 अपराह्न तक या उससे पहले अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड (कंपनी का रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट) के पोर्टल https://einward.alankit.com/ पर अपलोड करना या alankit.nhpc@alankit.com अथवा investorcell@nhpc.nic.in पर ई-मेल द्वारा भेजना आवश्यक है। शून्य/ कम कर मामलों के संबंध में उक्त तिथि के बाद शेयरधारकों से कोई संप्रेषण स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

शेयरधारकों के लिए लाभकारी टीडीएस दरें (लाभप्रद डीटीएए दरों सहित) या टीडीएस से छूट का अनुप्रयोग कंपनी द्वारा शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की पूर्णता और संतोषजनक समीक्षा पर निर्भर करेगा ।

यदि उपर्युक्त विवरण/ दस्तावेजों की प्राप्ति के अभाव में या कंपनी द्वारा समीक्षा किए जाने पर दस्तावेजों को संतोषजनक नहीं पाए जाने पर लाभांश पर कर को उच्च दर पर काटा जाता है, तब भी शेयरधारक के पास आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अतिरिक्त काटे गए कर की वापसी का दावा करने का विकल्प होगा । काटे गए ऐसे करों के लिए कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा ।

सदस्य (सदस्यों) द्वारा प्रदान की गई/ दी जाने वाली जानकारी में किसी भी गलत बयानी, अशुद्धि या चूक से उत्पन्न होने वाली किसी भी आयकर मांग (ब्याज, जुर्माना, आदि सहित) की स्थिति में, ऐसे सदस्य कंपनी को क्षतिपूर्ति के लिए और कंपनी को सभी जानकारी/ दस्तावेज उपलब्ध कराने और कंपनी को किसी भी अपीलीय कार्यवाही में सहयोग प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

टीडीएस पर उपरोक्त संप्रेषण कानून के प्रावधानों को केवल संक्षिप्त रूप से निर्धारित करता है, संप्रेषण की तिथि के अनुसार, और पूर्ण विश्लेषण या सभी संभावित कर परिणामों की सूचीबद्धता के अभिप्राय नहीं है । शेयरधारक ध्यान दें कि, चूंकि कर परिणाम प्रत्येक मामले के तथ्यों और रुख पर निर्भर होते हैं, इसीलिए उन्हें सलाह दी जाती है कि वे लाभांश की प्राप्ति से उत्पन्न होने वाले विशिष्ट कर प्रभावों के संबंध में अपने स्वयं के कर सलाहकार से परामर्श करें ।

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष

14. सदस्यों से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि कंपनी के गैर-भुगतान लाभांश खाते में स्थानांतरण की तारीख से लगातार सात वर्षों की अवधि के लिए भुगतान न किए गए या दावा न किए गए लाभांश, भारत सरकार के निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष ("आईईपीएफ") में स्थानांतरित किए जाएंगे। ऐसे लावारिस लाभांशों के संबंध में शेयरों को भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किया जाएगा । तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय के भीतर कंपनी से अपने लाभांश का दावा करें । जिन सदस्यों का दावा न किए गए लाभांश/ शेयर आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया गया है, वे आईईपीएफ प्राधिकरण को ई-फॉर्म आईईपीएफ-5 (www.iepf.gov.in पर उपलब्ध) में आवेदन करके इसका दावा कर सकते हैं । अधिक जानकारी के लिए, कृपया कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट देखें, जो कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com का एक भाग है ।

दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए प्रक्रिया

15. अधिनियम की धारा 170 के तहत निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का रजिस्टर और उनकी शेयरधारिता तथा अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं का रजिस्टर, जिसमें निदेशकों की रुचि है, एजीएम के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे । नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के निरीक्षण के लिए नोटिस के सर्कुलेशन की तारीख से एजीएम की तारीख तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे । दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य कंपनी सचिव को agm2021@nhpc.nic.in पर अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/ फोलियो नंबर और स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करते हुए एक ई-मेल भेज सकते हैं । एजीएम में रखे जाने वाले किसी मामले के या खातों के संबंध में कोई जानकारी चाहने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे **शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021** को या उससे पहले investorcell@nhpc.nic.in पर ई-मेल के माध्यम से कंपनी को लिखें । इसका जवाब कंपनी द्वारा उपयुक्त रूप से दिया जाएगा ।

अन्य सूचना

16. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों को :

    क. फॉर्म एसएच-13 में अपनी शेयरधारिता के संबंध में नामांकन करने की सलाह दी जाती है;

    ख. यदि शेयर दो या दो से अधिक फोलियो के अंतर्गत धारित हैं, तो अपने शेयर प्रमाण-पत्रों को समेकन के लिए आरटीए को भेजने का अनुरोध किया जाता है,

    ग. सूचित किया जाता है कि भौतिक रूप में धारित शेयरों को हस्तांतरण के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

17. संयुक्त धारकों के मामले में, जिस सदस्य का नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में प्रथम धारक के रूप में आता है, वह एजीएम में मतदान करने का हकदार होगा ।

18. प्रवासी भारतीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के संबंध में आरटीए को सूचित करें :

    i. स्थायी समाधान के लिए भारत लौटने पर उनकी आवासीय स्थिति में परिवर्तन ।

    ii. भारत में रखे गए उनके बैंक खाते का पूरे नाम, शाखा, खाता प्रकार, खाता संख्या, आईएफएससी कोड और पिन कोड नंबर के साथ बैंक का पता, यदि पहले नहीं दिया गया है।

19. कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है ।

20. सदस्यों से अनुरोध है कि हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को लाभांश मामले सहित सभी पत्राचार करें :-
    अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
    अलंकित हाउस, 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110054
    दूरभाष: 011-42541234, 011-42541951
    फैक्स: 011-42541201
    ईमेल: alankit.nhpc@alankit.com
    वेबसाइट: www.alankit.com
    टोल फ्री नंबर: 18601212155

वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ई-वोटिंग और एजीएम के संबंध में सदस्यों को सूचना :

1. प्रासंगिक नियमों, सेबी एलओडीआर के विनियम 44 और एमसीए परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसरण में, एजीएम में किए जाने वाले कंपनी के कार्यों के संबंध में कंपनी रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है । इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने एनडीएसएल को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा के लिए अधिकृत ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है । एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ई-वोटिंग का उपयोग कर सदस्य द्वारा वोट देने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी ।

2. सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ ओएवीएम मोड के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं । वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी । इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयरधारक), प्रोमोटर, संस्थागत निवेशक,

निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन व पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग लेने की अनुमति है ।

3. सदस्य, जिनके नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात **बुधवार, 22 सितंबर, 2021** को सदस्यों के रजिस्टर/ लाभार्थी स्वामियों की सूची में शामिल हैं, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे । वे व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं, उनके लिए एजीएम का नोटिस केवल सूचना प्रयोजन के लिए माना जाए।

4. सदस्यों द्वारा बुधवार, 22 सितंबर, 2021 को कट-ऑफ तिथि के अनुसार धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार वोटिंग अधिकार होंगे। सदस्य अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से तभी डाल सकते हैं जब उनके पास उस तारीख को शेयर हों ।

5. सदस्य जो एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/ फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने पंजीकृत ई-मेल पते से agm2021@nhpc.nic.in पर **सोमवार, 20 सितंबर, 2021 से गुरुवार, 23 सितंबर, 2021 तक** अनुरोध भेजकर खुद को एक स्पीकर के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं । जिन सदस्यों ने खुद को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, एजीएम के दौरान केवल उन्हें अपने विचार व्यक्त करने/ प्रश्न पूछने की अनुमति होगी । एजीएम के सुचारू संचालन के लिए उपयुक्त समय की उपलब्धता के आधार पर प्रश्नों की संख्या और वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है । जब एक पूर्व-पंजीकृत स्पीकर को बैठक में बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह जवाब नहीं देता है, तो अगले स्पीकर को बोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा । तदनुसार, सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि वे अच्छी इंटरनेट स्पीड के साथ वीडियो/ कैमरा वाले डिवाइस से कनेक्ट हों।

6. निदेशक मंडल ने मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिव, फरीदाबाद, ई-मेल पता: corporatelegal@cspcjain.com के श्री पूनम चंद जैन (सदस्यता संख्या एफ-4103 और प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या 3349) और उनके अनुपस्थित रहने पर सुश्री पूर्विका जैन (सदस्यता संख्या ए-47373 और प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या 21942) को, ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

7. अपेक्षित संख्या में मतों की प्राप्ति के अधीन, बैठक की तिथि, अर्थात् 29 सितंबर, 2021 को संकल्प पारित माना जाएगा ।

8. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का परिणाम एजीएम के समापन से दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किया जाएगा । स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे। परिणाम को साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा ।

सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देश :-

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, 25 सितंबर, 2021 को सुबह 9:00 बजे से शुरू होगी और मंगलवार 28 सितंबर, 2021 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा ।

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैसे वोट करूं?

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में "दो चरण" शामिल हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है :

चरण 1 : एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच

क) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि

सेबी के "सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा" पर दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 के अनुसरण में, मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए सभी व्यक्तिगत डीमैट खाताधारकों के लिए एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रक्रिया को, उनके डीमैट खाते/ डिपॉजिटरी/ डीपी की वेबसाइट द्वारा, सक्षम किया गया है । व्यक्तिगत

डीमैट खाताधारक ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) के साथ फिर से पंजीकरण किए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध सत्यापन की सुविधा होगी बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने में आसानी और सुविधा भी होगी । ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें ।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों के प्रकार	लॉग इन का तरीका
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. मौजूदा आईडीईएएस उपयोगकर्ता पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट https://eservices.nsdl.com पर जा सकते हैं । ई-सर्विसेज होम पेज पर "लॉगिन" के तहत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें जो 'आईडीएएस' सेक्शन के तहत उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको वैल्यू एडिड सर्विसिज के तहत ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे । ई-वोटिंग सेवाओं के तहत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे । कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट किया जाएगा । 2. यदि आप आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है । "आईडीईएएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन रजिस्टर" चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें । 3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं । पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें- https://www.evoting.nsdl.com/ । ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरहोल्डर/मेम्बर सेक्शन के तहत उपलब्ध है । एक नई स्क्रीन खुलेगी । आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है । सफल सत्यापन के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेजा जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने व मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए, आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिया जाएगा। 4. शेयरधार / सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप "एनएसडीएल स्पीड" भी डाउनलोड कर सकते हैं। NSDL Mobile App is available on App Store Google Play
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने ईज़ी/ईज़ीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं । बिना किसी और सत्यापन के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईज़ी/ईज़ीएस्ट में लॉगिन करने के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com हैं और NewSystemMyeasi पर क्लिक करें । 2. ईज़ी/ईज़ीएस्ट के सफल लॉगिन के बाद उपयोगकर्ता ई-वोटिंग मेन्यू भी देख सकेगा । मेन्यू में ई-वोटिंग सेवाप्रदाता यानी एनएसडीएल के लिंक होंगे । अपना वोट देने के लिए

	एनएसडीएल पर क्लिक करें । 3. यदि उपयोगकर्ता ईज़ी/ईज़ीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर लिंक में डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं । सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता का सत्यापन करेगा। सफल सत्यापन के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी यानी एनएसडीएल के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) अपने डिपॉजिटरी सहभागियों के माध्यम से लॉगिन करेंगे	ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से आप अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा । ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल सत्यापन के बाद आपको एनएसडीएल/ सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग फीचर देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवाप्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट: *जो सदस्य यूजर आईडी/ पासवर्ड पुन: प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।*

डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन संबंधी किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर या टोल फ्री नंबर: 18001020990 और 1800224430 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या 022-23058738 या 022-23058542-43 पर कॉल करके सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

ख) डीमैट मोड में शेयर रखने वाले और भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि।

<u>एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट में लॉग-इन कैसे करें?</u>

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं । पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://www.evoting.nsdl.com/

2. एक बार ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरहोल्डर/ मेम्बर' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है।

3. एक नई स्क्रीन खुलेगी । आपको अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड/ ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है ।

   वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सेवाओं यानी आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएएस लॉगिन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं । एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-

सेवाओं में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दें ।

4. आपका यूजर आईडी विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर धारण करने का तरीका यानि डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक रूप से	आपका यूजर आईडी -
क) एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** है और क्लाइंट आईडी 12****** है तो आपकी यूजर आईडी IN300***12****** है।
ख) सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12********** है तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी 12********** है
ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर के बाद ईवन नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो नंबर 001*** है और ईवन 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** है

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:

क. यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगिन करने और अपना वोट देने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं ।

ख. यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'आरंभिक पासवर्ड' रिट्रीव करना होगा जो आपको सूचित किया गया था । एक बार जब आप अपना 'आरंभिक पासवर्ड' रिट्रीव कर लेते हैं, तो आपको 'आरंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा ।

ग. अपना 'आरंभिक पासवर्ड' कैसे रिट्रीव करें ?

(i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'आरंभिक पासवर्ड' आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है । आपके मेल बॉक्स से एनएसडीएल से भेजे गए ईमेल को ट्रेस करें । ईमेल खोलें और अटैचमेंट यानी .pdf फ़ाइल खोलें । .pdf फाइल खोलें । .pdf फ़ाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलियो नंबर है । .pdf फाइल में आपकी 'यूजर आईडी' और आपका 'आरंभिक पासवर्ड' होता है ।

(ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो **कृपया उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया में नीचे दिए गए चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है ।**

6. यदि आप "आरंभिक पासवर्ड" रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं या प्राप्त नहीं हुआ है या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

क. www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प **"फॉरगॉट यूजर डिटेल्स/ पासवर्ड?"** (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रखते हैं) पर क्लिक करें ।

ख. www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प **फिजिकल यूजर रिसेट पासवर्ड रीसेट** करें" (यदि आप भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं) पर क्लिक करें ।

ग. यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप evoting@nsdl.co.in पर अपना डीमैट खाता संख्या/ फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि का उल्लेख करते हुए अनुरोध भेज सकते हैं ।

घ. सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं ।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "शर्त एवं निबंधन" पर सहमत पर टिक करें ।

8. अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा ।

9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा ।

चरण 2: अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हों

इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में कैसे शामिल हों?

1. चरण 1 में सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों को "ईवन" देख पाएंगे, जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।

2. उस कंपनी का "ईवन" चुनें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान और आम बैठक के दौरान अपना वोट देना चाहते हैं । वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको "जॉइन जनरल मीटिंग" के तहत दिए गए "वीसी/ ओएवीएम" लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. वोटिंग पेज खुलते ही अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं ।

4. उपयुक्त विकल्प अर्थात सहमति या असहमति का चयन करके अपना वोट दें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/ संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट देना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें और प्रॉम्प्ट होने पर "कन्फर्म" पर भी क्लिक करें।

5. कन्फर्म होने पर, "वोट कास्ट सक्सेसफुली" संदेश प्रदर्शित होगा।

6. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा दिए गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं ।

7. एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट को कन्फर्म कर देते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशा-निर्देश

1 संस्थागत/ कॉर्पोरेट शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड के संकल्प/ प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं), जो वोट करने के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ स्क्रूटिनाइज़र को Corporationlegal@cspcjain.com पर तथा इसकी प्रति evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल द्वारा भेजने की आवश्यकता है ।

2 संस्थागत निवेशकों की श्रेणी के अंतर्गत कंपनी के सदस्यों से अनुरोध है कि वे वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लें और मतदान करें ।

3 इस बात की कड़ाई से सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें । सही पासवर्ड डालने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन बंद हो जाएगा । ऐसी स्थिति में, आपको www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "उपयोगकर्ता विवरण/ पासवर्ड भूल गए?" या "भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?" का उपयोग पासवर्ड रीसेट करने के लिए करना होगा।

4 किसी भी शंका के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 18001020990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक अथवा सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 से उनके निर्दिष्ट ईमेल आईडी - evoting@nsdl.co.in या pallavid@nsdl.co.in या sonis@nsdl.co.in पर या टेलीफोन नंबर पर:-

+912224994545, +912224994559 पर संपर्क कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जुड़ी शिकायतों का और एजीएम से पहले या उसके दौरान तकनीकी सहायता प्रदान करेंगी।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, इस नोटिस में निर्धारित संकल्पों के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-वोटिंग के लिए ई-मेल आईडी का पंजीकरण :

1. जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित) कंपनी को ईमेल द्वारा (ईमेल आईडी agm2021@nhpc.nic.in) / आरटीए (ईमेल आईडी: alankit.nhpc@alankit.com) द्वारा प्रदान करें ।

2. यदि शेयर डीमैट रूप में हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) कंपनी को (ईमेल आईडी agm2021@nhpc.nic.in)/ आरटीए (ईमेल आईडी alankit.nhpc@alankit.com) प्रदान करें। यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले एक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप चरण 1 (ए) में बताई गई लॉगिन विधि को देखें, अर्थात **ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होना ।**

3. वैकल्पिक रूप से शेयरधारक/ सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज उपलब्ध कराकर ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं ।

4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी सहभागियों के साथ रखे गए डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है । ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है ।

एजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं: -

1. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया, रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर दिए गए निर्देशों के समान ही है ।

2. केवल वही सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, वे ही एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे ।

3. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने वाले सदस्य एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे । हालांकि, वे एजीएम में वोट देने के लिए पात्र नहीं होंगे ।

4. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए उसे व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, जिसका विवरण रिमोट ई-वोटिंग के लिए दिया गया है।

वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की प्रक्रिया :

1. सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी । सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन करके एक्सेस कर सकते हैं । सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के सामने "आम बैठक में शामिल हों" मेन्यू के तहत "वीसी/ ओएवीएम लिंक" का लिंक देख सकते हैं । आपसे अनुरोध है कि आम बैठक में शामिल हों मेन्यू के तहत दिए गए वीसी/ ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें । वीसी/ ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/ सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का 'ईवन' प्रदर्शित किया जाएगा । कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की व्यस्तता से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं ।

2. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

3. साथ ही सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए कैमरे की अनुमति देने और अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी ।

4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप द्वारा कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में अस्थिरता के कारण ऑडियो/ वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है । इसलिए किसी भी प्रकार के पूर्वोक्त व्यवधानों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन के उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

5. सदस्य, जिन्हें एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है, वे :
   i. evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800-222-990 का उपयोग कर सकते हैं; या
   ii. सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल से निर्दिष्ट ईमेल आईडी pallavid@nsdl.co.in पर या टेलीफोन नंबर +912224994545, +912224994559 पर संपर्क कर सकते हैं;
   iii. संपर्क सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल से निर्दिष्ट ईमेल आईडी: sonis@nsdl.co.in पर या टेलीफोन नंबर +912224994545, +912224994559 पर संपर्क कर सकते हैं।

नोटिस के साथ संलग्न कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 6

विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 28 सितंबर, 2020 के आदेश सं. 9/3/2019- एनएचपीसी द्वारा श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल (डीआईएन 08645380) को कंपनी के निदेशक (वित्त) के पद पर उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक यानी 31 अगस्त, 2025 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 01 अक्तूबर, 2020 को या उसके बाद पदभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किया है । श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल ने 01 अक्टूबर 2020 को निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है।

तदनुसार, निदेशक मंडल ने अगली एजीएम की तिथि तक अधिनियम की धारा 161 के संदर्भ में 01 अक्टूबर, 2020 से अपर निदेशक के रूप में कंपनी के निदेशक (वित्त) श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल की नियुक्ति की पुष्टि की थी । निदेशक मंडल ने श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल, निदेशक (वित्त) को 01 अक्टूबर 2020 से कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में भी नामित किया है ।

चूंकि श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल का अपर निदेशक के रूप में कार्यकाल अधिनियम की धारा 161(1) के अनुसरण में एजीएम के दौरान समाप्त होना निर्धारित है, भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित नियमों और शर्तों पर उनके निदेशक पद की पुष्टि करने और कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में उन्हें नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा जा रहा है ।

कंपनी को श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल से अधिनियम की धारा 160 के तहत अपेक्षित राशि जमा करने के साथ लिखित में एक नोटिस, कंपनी के निदेशक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव, प्राप्त हुआ है। श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल अधिनियम की धारा 164 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं ।

उनका संक्षिप्त विवरण, अन्य बातों के साथ-साथ, विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता की प्रकृति, कंपनी में शेयरधारिता, धारित अन्य निदेशक पद, समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता और अन्य विवरण शामिल है, इस नोटिस के साथ अन्यत्र संलग्न है।

श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कंपनी में उनके शेयरधारिता हित, की सीमा तक, यदि कोई हो, कंपनी के अन्य निदेशकों/ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों/ उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, किसी भी तरह से, नोटिस के **मद संख्या 6** में निर्धारित संकल्प में, आर्थिक रूप से या अन्यथा, संबंधित या रुचि नहीं रखता है ।

बोर्ड नोटिस के **मद संख्या 6** पर निर्धारित सामान्य संकल्प की शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

मद संख्या 7

विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 22 दिसंबर, 2020 के आदेश सं. 9/4/2019- एनएचपीसी द्वारा श्री बिश्वजीत बासु (डीआईएन 09003080) को कंपनी के निदेशक (परियोजना) के पद पर उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक यानी 31 दिसंबर, 2023 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 01 जनवरी, 2021 को या उसके बाद पदभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किया है । श्री बिश्वजीत बासु ने 01 जनवरी, 2021 को निदेशक (परियोजना) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है।

तदनुसार, निदेशक मंडल ने अगली एजीएम की तिथि तक अधिनियम की धारा 161 के संदर्भ में 01 जनवरी, 2021 से अपर निदेशक के रूप में कंपनी के निदेशक (परियोजना) श्री बिश्वजीत बासु की नियुक्ति की पुष्टि की थी ।

चूंकि श्री बिश्वजीत बासु का अपर निदेशक के रूप में कार्यकाल अधिनियम की धारा 161(1) के अनुसरण में एजीएम के दौरान समाप्त होना निर्धारित है, भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित नियमों और शर्तों पर उनके निदेशक पद की पुष्टि करने और कंपनी के निदेशक (परियोजना) के रूप में उन्हें नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा जा रहा है ।

कंपनी को श्री बिश्वजीत बासु से अधिनियम की धारा 160 के तहत अपेक्षित राशि जमा करने के साथ लिखित में एक नोटिस, कंपनी के निदेशक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव, प्राप्त हुआ है। श्री बिश्वजीत बासु अधिनियम की धारा 164 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं ।

उनका संक्षिप्त विवरण, अन्य बातों के साथ-साथ, विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता की प्रकृति, कंपनी में शेयरधारिता, धारित अन्य निदेशक पद, समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता और अन्य विवरण शामिल है, इस नोटिस के साथ अन्यत्र संलग्न है।

श्री बिश्वजीत बासु और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कंपनी में उनके शेयरधारिता हित, की सीमा तक, यदि कोई हो, कंपनी के अन्य निदेशकों/ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों/ उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, किसी भी तरह से, नोटिस के **मद संख्या 7** में निर्धारित संकल्प में, आर्थिक रूप से या अन्यथा, संबंधित या रुचि नहीं रखता है ।

बोर्ड नोटिस के **मद संख्या 7** पर निर्धारित सामान्य संकल्प की शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

मद संख्या 8

बोर्ड ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 75,000/- रूपए प्रति पावर स्टेशन (टीए/ डीए, कर और शुल्क को छोड़कर) के पारिश्रमिक पर कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए निम्नलिखित लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी है :

क्र.सं.	फर्म का नाम	पावर स्टेशन
1	मै. धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, दिल्ली*	चुटक और निम्मो बाजगो
2	मै. एबीके एंड एसोसिएट्स, गुड़गांव	चमेरा-I, सेवा-II और पार्वती-III
3	मै. नरसिम्हा मूर्ति एंड कंपनी, दिल्ली	उडी-I, उडी-II और किशनगंगा
4	मै. आर.एम. बंसल एंड कंपनी, दिल्ली	बैरास्यूल, चमेरा-II और चमेरा-III
5	मै. के.जी. गोयल एंड कंपनी, जयपुर	दुलहस्ती, सलाल और पवन ऊर्जा परियोजना, जैसलमेर
6	मै. एजेएस एंड एसोसिएट्स, देहरादून	टनकपुर, धौलीगंगा और पार्वती-II**
7	मै. बंद्योपाध्याय भौमिक एंड कंपनी, कोलकाता	रंगित, तीस्ता-V और सौर ऊर्जा परियोजना, तमिलनाडु
8	मै. वाई.एस. ठक्कर एंड कंपनी, आसनसोल, पश्चिम बंगाल	लोकतक, टीएलडीपी-III और टीएलडीपी -IV

* मैसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, दिल्ली को सभी पावर स्टेशनों की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के समेकन और फॉर्म सीआरए 3 में समेकित लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 75,000/- रूपए (टीए/डीए, करों और शुल्कों को छोड़कर) के पारिश्रमिक पर प्रमुख लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।
** पार्बती-॥ जल विद्युत परियोजना के संबंध में, नियुक्ति वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान संबंधित परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन थी।

कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पठित अधिनियम की धारा 148(3) के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति द्वारा संस्तुत पारिश्रमिक पर निदेशक मंडल द्वारा विचार एवं अनुमोदन प्रदान किया जाएगा और उसकी बाद में शेयरधारकों द्वारा पुष्टि की जाएगी।

तदनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक की पुष्टि हेतु एक साधारण संकल्प के माध्यम से सदस्यों की सहमति प्रार्थित है।

कंपनी का कोई भी निदेशक/ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/ उनके रिश्तेदार किसी भी प्रकार से, वित्तीय या अन्यथा, नोटिस की **मद संख्या 8** में निर्धारित संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं है, सिवाय कंपनी में अपनी शेयरधारिता की सीमा तक।

बोर्ड नोटिस के **मद संख्या 8** पर निर्धारित सामान्य संकल्प की शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

मद संख्या 9

बोर्ड ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 75,000/- रूपए प्रति पावर स्टेशन (टीए/ डीए, कर और शुल्क को छोड़कर) के पारिश्रमिक पर कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए निम्नलिखित लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी है :

क्र.सं.	फर्म का नाम	पावर स्टेशन
1	मै. धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, दिल्ली*	चुटक और निम्मो बाजगो
2	मै. एबीके एंड एसोसिएट्स, गुड़गांव	चमेरा-I, सेवा-II और पार्वती-III
3	मै. नरसिम्हा मूर्ति एंड कंपनी, दिल्ली	उडी-I, उडी-II और किशनगंगा
4	मै. आर.एम. बंसल एंड कंपनी, दिल्ली	बैरास्यूल, चमेरा-II और चमेरा-III
5	मै. के.जी. गोयल एंड कंपनी, जयपुर	दुलहस्ती, सलाल और पवन ऊर्जा परियोजना, जैसलमेर
6	मै. एजेएस एंड एसोसिएट्स, देहरादून	टनकपुर, धौलीगंगा और पार्वती-II**
7	मै. बंद्योपाध्याय भौमिक एंड कंपनी, कोलकाता	रंगित, तीस्ता-V और सौर ऊर्जा परियोजना, तमिलनाडु
8	मै. वाई.एस. ठाकर एंड कंपनी, आसनसोल, पश्चिम बंगाल	लोकतक, टीएलडीपी-III और टीएलडीपी -IV

* मैसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, दिल्ली को सभी पावर स्टेशनों की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के समेकन और फॉर्म सीआरए 3 में समेकित लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 75,000/- रूपए (टीए/डीए, करों और शुल्कों को छोड़कर) के पारिश्रमिक पर प्रमुख लागत लेखापरीक्षक के रूप में भी नियुक्त किया गया था।
** पार्बती-॥ जल विद्युत परियोजना के संबंध में, नियुक्ति वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान संबंधित परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन थी।

कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पठित अधिनियम की धारा 148(3) के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति द्वारा संस्तुत पारिश्रमिक पर निदेशक मंडल द्वारा विचार एवं अनुमोदन प्रदान किया जाएगा और उसकी बाद में शेयरधारकों द्वारा पुष्टि की जाएगी।

तदनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक की पुष्टि हेतु एक साधारण संकल्प के माध्यम से सदस्यों की सहमति प्रार्थित है।

कंपनी का कोई भी निदेशक/ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/ उनके रिश्तेदार किसी भी प्रकार से, वित्तीय या अन्यथा, नोटिस की **मद संख्या 9** में निर्धारित संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं है, सिवाय कंपनी में अपनी शेयरधारिता की सीमा तक।

बोर्ड नोटिस के **मद संख्या 9** पर निर्धारित सामान्य संकल्प की शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

मद संख्या 10

एनएचपीसी लिमिटेड भारत सरकार का एक मिनी-रत्न (श्रेणी-I) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जिसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी 15,000 करोड़ रूपए है और सितंबर, 2009 से सूचीबद्ध है।

एनएचपीसी भारत में शीर्ष जल विद्युत विकासकर्ताओं में से एक है, जिसके पास जल विद्युत क्षेत्र में 45 से अधिक वर्षों का अनुभव है । एनएचपीसी ने देश भर में बीस जल विद्युत स्टेशन, एक सौर ऊर्जा परियोजना और एक पवन ऊर्जा परियोजना को सफलतापूर्वक विकासित किया है। वर्तमान में एनएचपीसी 5,999 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ सात जल विद्युत परियोजनाओं और दो सौर परियोजनाओं के निर्माण में लगी हुई है जिसमें सहायक /संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से कार्यान्वित परियोजनाएं शामिल हैं । इसके अलावा, समेकित आधार पर 10787.1 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाली परियोजनाएं मंजूरी/ अनुमोदन चरण में है । एनएचपीसी ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों जैसे हाइड्रो, नवीकरणीय ऊर्जा आदि की परियोजनाओं को लेकर तेजी से क्षमता वृद्धि मोड में है । इन परियोजनाओं को सीईआरसी मानदंडों के अनुसार 70:30 के ऋण-इक्विटी अनुपात में वित्तपोषित किया जाना है । कंपनी के उधार के मुख्य घटक आम तौर पर बांड/ डिबेंचर, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से रुपए अवधि के ऋण, विदेशी मुद्रा ऋण, विदेशी मुद्रा बांड आदि के रूप में होते हैं ।

अधिनियम की धारा 180(1)(सी) की आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी के शेयरधारकों ने 9 सितंबर, 2014 को डाक मतपत्र के माध्यम से पारित एक विशेष संकल्प द्वारा निदेशक मंडल को 30,000 करोड़ रूपए तक, अर्थात प्रदत्त शेयर पूंजी और मुक्त भंडार से अधिक, उधार लेने के लिए अधिकृत किया था ।

तेजी से क्षमता वृद्धि कार्यक्रम के कारण कंपनी की निधि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, 30,000 करोड़ रूपए की सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता है । कैपेक्स आवश्यकताओं के अनुसार 2031 तक चल रही परियोजनाओं और नई परियोजनाओं दोनों के लिए लगभग अस्थायी ऋण आवश्यकता लगभग 50,000 करोड़ रूपए होगा, जो कंपनी के प्रदत्त शेयर पूंजी, मुक्त भंडार और प्रतिभूति प्रीमियम से अधिक है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निदेशक मंडल को समय-समय पर कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी, उसके मुक्त भंडार और प्रतिभूति प्रीमियम से अधिक उधार लेने के लिए अधिकृत करने हेतु विशेष संकल्प (संकल्पों) के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा जा रहा है बशर्ते कि इस प्रकार कुल उधार ली गई राशि (कारोबार के सामान्य क्रम में कंपनी के बैंकरों से प्राप्त अस्थायी ऋण के अलावा) किसी भी समय 40,000 करोड़ रूपए से अधिक नहीं होगी।

कंपनी के निदेशक मंडल ने उपरोक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए उपरोक्त प्रस्ताव की सिफारिश की है ।

कंपनी का कोई भी निदेशक/ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/ उनके रिश्तेदार किसी भी प्रकार से, वित्तीय या अन्यथा, नोटिस की **मद संख्या 10** में निर्धारित संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं है, सिवाय कंपनी में अपनी शेयरधारिता की सीमा तक।

मद संख्या 11

अधिनियम की धारा 180(1)(ए) की आवश्यकताओं के अनुसार, इस संबंध में इसके तहत बनाए गए नियमों और कोई अन्य वैधानिक व प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के अनुपालन में, विशेष संकल्प पारित करके कंपनी के शेयरधारकों की सहमति के अलावा, निदेशक मंडल कंपनी की वर्तमान और भविष्य दोनों, या अन्यथा कंपनी की सभी या किसी अचल और/या चल संपत्तियों पर बंधक और/या प्रभार नहीं बनाएगा।

एनएचपीसी तेजी से क्षमता विस्तार मोड में है । तदनुसार, कंपनी के पूंजीगत व्यय की आवश्यकता के बड़े हिस्से को कंपनी की अचल/ चल संपत्तियों पर सुरक्षा का सृजन करके ऋण द्वारा वित्त पोषित किया जाना है ।

इसलिए, अधिनियम की धारा 180(1)(ए) की आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी के व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए निधियों के उधार को सुरक्षित करने के लिए, कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी की अचल और/या चल

संपत्तियों और/या कंपनी के संपूर्ण या पर्याप्त रूप से पूरे उपक्रम (उपक्रमों) पर, वर्तमान और भविष्य में, बंधक/प्रभार सृजित करने के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव है ।

कंपनी के निदेशक मंडल ने उपरोक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए उपरोक्त प्रस्ताव की सिफारिश की है ।

कंपनी का कोई भी निदेशक/ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/ उनके रिश्तेदार किसी भी प्रकार से, वित्तीय या अन्यथा, नोटिस की **मद संख्या 11** में निर्धारित संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं है, सिवाय कंपनी में अपनी शेयरधारिता की सीमा तक।

वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति का अनुरोध करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

नाम	**श्री निखिल कुमार जैन डीआईएन) 05332456)**	**श्री यमुना कुमार चौबे (डीआईएन 08492346)**
जन्मतिथि व आयु	28 मार्च, 1962 59 वर्ष	16 मई 1963 58 साल
बोर्ड में पहली नियुक्ति की तारीख	फरवरी 7, 2017	1 अप्रैल, 2020
योग्यता	उन्होंने आईआईटी रुड़की से औद्योगिक इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।	उन्होंने आईआईटी, खड़गपुर से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	एनएचपीसी में शामिल होने से पहले, श्री जैन एयर इंडिया लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक) थे। श्री जैन को सरकारी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में लगभग तीन दशकों का व्यापक व समृद्ध अनुभव है। वह 1988 में भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा अधिकारी के रूप में भारतीय रेलवे में शामिल हुए थे। उन्होंने रेलवे में विभिन्न स्तरों पर और रेल मंत्रालय में कार्यपालक निदेशक (संयुक्त सचिव) के रूप में काम किया है ।	निदेशक (तकनीकी) के रूप में एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में शामिल होने से पहले, श्री चौबे एनएचपीसी में निगम मुख्यालय के संविदा सिविल विभाग और संविदा ईएंडएम विभाग के प्रभारी व कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यरत थे । एनएचपीसी के विभिन्न विभागों जैसे संविदा, डिजाइन एवं इंजीनियरिंग और निर्माण परियोजनाओं में 35 से अधिक वर्षों तक काम करते हुए, उनके पास अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक हाइड्रो-प्रोजेक्ट के विकास के सभी पहलुओं का अनुभव है और उन्होंने एनएचपीसी के विकास में योगदान दिया है। डिजाइन एवं इंजीनियरिंग विभाग में 25 से अधिक वर्षों तक कार्य करते हुए उन्होंने पीएफआर/ एफआर/ डीपीआर के लिए योजना और लेआउट इंजीनियरिंग और हाइड्रो-इलेक्ट्रिक/नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण चरण डिजाइन में विभिन्न क्षमताओं में काम किया है । उन्हें 540 मेगावाट की चमेरा-I परियोजना (हिमाचल प्रदेश), 60 मेगावाट की कुरिचु परियोजना (भूटान), 231 मेगावाट की चमेरा-III परियोजना (हिमाचल प्रदेश), 2000 मेगावाट की सुबनसिरी लोअर परियोजना (अरुणाचल प्रदेश), 2880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजना (अरुणाचल प्रदेश)जैसी प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की योजना और डिजाइनिंग का श्रेय दिया जाता है ।। उन्होंने एनएचपीसी की दो प्रतिष्ठित परियोजनाओं के निर्माण में भी काम किया है अर्थात 540 मेगावाट की चमेरा-I परियोजना, हिमाचल प्रदेश - जिसे कनाडा के एसएनसी/ एसीआरईएस के सहयोग से निष्पादित किया गया था और 480 मेगावाट की उडी जल विद्युत परियोजना, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश – जिसे उडी सिविल - स्वीडिश कंसोर्टियम द्वारा टर्न-की आधार पर निष्पादित किया गया था।
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद	शून्य	क. बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड ख. चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड गरतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड.
सभी कंपनियों में	➢ एनएचपीसी लिमिटेड	➢ एनएचपीसी लिमिटेड

समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता *	क. लेखा परीक्षा समिति – सदस्य ख. हितधारक संबंध समिति - सदस्य	क. लेखा परीक्षा समिति – सदस्य ख. हितधारक संबंध समिति - सदस्य
नियुक्तिपुनर्नियुक्ति और / उनके पारिश्रमिक के नियम और शर्तें	भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार।	भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार।
वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	आयोजित बैठकों की संख्या : 11 भाग ली गई बैठकों की संख्या: 11	आयोजित बैठकों की संख्या : 11 भाग ली गई बैठकों की संख्या: 11
एनएचपीसी में धारित शेयरों की संख्या)31.07.2021)	शून्य	शून्य

* सेबी एलओडीआर के विनियम 26 के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता को ही ध्यान में रखा गया है।

वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति का अनुरोध करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

नाम	श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल (डीआईएन 08645380)	श्री बिश्वजीत बासु (डीआईएन 09003080)
जन्मतिथि व आयु	8 अगस्त, 1965 56 वर्ष	30 दिसंबर, 1963 57 वर्ष
बोर्ड में पहली नियुक्ति की तारीख	1 अक्टूबर, 2020	1 जनवरी, 2021
योग्यता	वह इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य हैं और उनके पास राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से वाणिज्य में स्नातकोत्तर की डिग्री भी है ।	उन्होंने वर्ष 1986 में त्रिपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज (अब एनआईटी, अगरतला) से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	श्री गोयल ने एनएचपीसी में 18 नवंबर 1988 को वरिष्ठ लेखाकार के रूप में अपना की कैरियर शुरू किया । उन्होंने शुरुआत में सलाल परियोजना में पदभार संभाला और उसके बाद चमेरा-I परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू और निगम मुख्यालय, फरीदाबाद में विभिन्न क्षमताओं में काम किया । श्री गोयल सेवा विभाग, निगम मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू में वित्त विभाग के प्रभारी रह चुके हैं । निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, वह मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) के रूप में कार्यरत थे, और कॉर्पोरेट खाते एवं नीति, कराधान, बैंकिंग, स्थापना और निवेशक संबंध अनुभागों के प्रभारी थे। श्री गोयल को एनएचपीसी लिमिटेड में वित्त के मुख्य क्षेत्रों में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक	श्री बासु के पास हाइड्रो पावर के क्षेत्र में 33 से अधिक वर्षों का विविध अनुभव है और वे अक्टूबर, 1987 से एनएचपीसी लिमिटेड के साथ जुड़े हुए हैं तथा जिम्मेदारी, नैतिकता व समर्पण की भावना के साथ पेशेवर सीढ़ी चढ़ते हुए वर्तमान पद पर पहुंचे हैं। निदेशक (परियोजना) के रूप में अपने वर्तमान कार्यभार में, श्री बासु उन सभी एनएचपीसी परियोजनाओं के प्रभारी हैं जो निर्माणाधीन और पूर्व-निर्माण चरणों में हैं । इसमें जल विद्युत के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं भी शामिल हैं । निगम मुख्यालय के प्रमुख कार्य अर्थात प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट ग्रुप (पीएमएसजी), आईटी एंड सी, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट प्लानिंग (सीईपी), आर्बिट्रेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और सीएसआर भी उनके कार्यक्षेत्र में आते हैं । एनएचपीसी बोर्ड में शामिल होने से पहले, श्री बासु ने विभिन्न क्षमताओं में एनएचपीसी की सेवा की है और निर्माण तथा ओ. एंड एम. चरणों के दौरान एनएचपीसी की अधिकांश परियोजनाओं में योगदान दिया है । अपने

	अनुभव है, जिसमें हाइड्रो परियोजनाओं के निर्माण के साथ-साथ संचालन में शामिल वित्तीय, संविदात्मक और विनियामक मुद्दों की गहन समझ और व्यापक ज्ञान शामिल है ।	कार्यकाल के दौरान, उन्होंने चुटक पावर स्टेशन, लोकतक पावर स्टेशन, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना और धौलीगंगा पावर स्टेशन सहित विभिन्न परियोजनाओं के परियोजना प्रमुख के रूप में कार्य किया है। उन्होंने लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) के सीईओ के रूप में भी कार्य किया है । टीएलडीपी-III पावर स्टेशन की कमीशनिंग के दौरान वे कमीशनिंग टीम के प्रभारी थे । उन्होंने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीडन और फ्रांस जैसे देशों में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है ।

अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद	1. चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 2. लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड 3. रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 4. एनएचडीसी लिमिटेड	1. लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड 2. बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड 3. रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 4. जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सभी कंपनियों में समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता*	1. एनएचपीसी लिमिटेड- हितधारक संबंध समिति- अध्यक्ष 2. एनएचडीसी लिमिटेड- लेखा परीक्षा समिति- अध्यक्ष 3. लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड -लेखा परीक्षा समिति - अध्यक्ष	एनएचपीसी लिमिटेड -हितधारक संबंध समिति - सदस्य
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक के नियम और शर्तें	भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ।	भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार।
वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	आयोजित बैठकों की संख्या : 6 भाग ली गई बैठकों की संख्या : 6	आयोजित बैठकों की संख्या : 2 भाग ली गई बैठकों की संख्या: 2
एनएचपीसी में धारित शेयरों की संख्या (31.07.2021)	17,488	9,000

* सेबी एलओडीआर के विनियम 26 के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता को ही ध्यान में रखा गया है।

अनुलग्नक - क

<लेटरहेड पर प्रिंट किया जाना है>

डीटीएए के अंतर्गत हितलाभ का दावा करने की घोषणा

दिनांक:

सेवा में,

एनएचपीसी लिमिटेड
एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर 33, फरीदाबाद, हरियाणा 121003,
ईमेल: investorcell@nhpc.nic.in

विषय: भारत सरकार और .... सरकार < कर निवास का देश > ("डीटीएए/संधि"), जैसा कि बहुपक्षीय लेखपत्र ("एमएलआई") द्वारा संशोधित किया गया हो, यदि लागू हो, के बीच दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अधीन हितलाभ का दावा करने के लिए पात्रता की घोषणा।

उपरोक्त के संदर्भ में, मैं/हम निम्नानुसार घोषित करना चाहते हैं :

1. मैं/ हम, ___________ <शेयरधारक का पूरा नाम>, मेरे पास भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") के तहत स्थायी खाता संख्या (पैन) _______ <पैन का उल्लेख करें> है, और रिकॉर्ड तिथि के अनुसार डीमैट खाता संख्या/ फ़ोलियो संख्या _______ के अंतर्गत मेरे पास एनएचपीसी लिमिटेड ("कंपनी") के __________ <धारित शेयरों की संख्या> शेयर हैं, एमएलआई (यदि लागू हो) द्वारा यथा संशोधित डीटीएए के ________ अनुच्छेद के संदर्भ में <डीटीएए के प्रासंगिक अनुच्छेद का उल्लेख करें>, मैं/ हम ________ देश <देश का नाम> का कर निवासी हूँ और आईटी अधिनियम की धारा 6 के अधीन भारत के 'निवासी' के रूप में पात्र नहीं हूँ/ हैं। फॉर्म 10एफ के साथ _______ <अवधि> के लिए वैध टैक्स रेजिडेंसी प्रमाण पत्र की एक प्रति जो रिकॉर्ड तिथि (17 सितंबर, 2021) को वैध है, इसके साथ संलग्न है ।
2. मैं/ हम प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान ____ <देश का नाम> का कर निवासी हूं/ हैं और बना रहूंगा/ रहेंगे।
3. मैं/ हम कंपनी से प्राप्त होने वाली लाभांश आय का कानूनी और लाभकारी स्वामी हूं/ हैं ।
4. मैं/ हम लाभांश आय के संबंध में एमएलआई (यदि लागू हो) द्वारा यथा संशोधित डीटीएए के प्रावधानों द्वारा शासित होने का/ के पात्र हूँ/ हैं और संधि दर का दावा करने के लिए सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करता/ करते हूँ/ हैं ।
5. मेरे/ हमारे पास एमएलआई (यदि लागू हो) द्वारा यथा संशोधित डीटीएए के अनुच्छेद ____ <डीटीएए के प्रासंगिक अनुच्छेद का उल्लेख करें> के संदर्भ में भारत में कोई स्थायी प्रतिष्ठान ("पीई") अथवा भारत में स्थायी बेस नहीं है और हम किसी भी मामले में पीई या स्थायी बेस, यदि कोई हो, के लिए निश्चित न किए जा सक्ने वाले ऐसे किसी भुगतान/ देय राशि, के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, जो अन्यथा गठित हो सकते हैं ।
6. मेरे/ हमारे पास किसी तीसरे देश में पीई नहीं है और मुझे/ हमें भुगतान/ देय राशि, किसी भी मामले में, तीसरे क्षेत्राधिकार, यदि कोई हो, में पीई के लिए जिम्मेदार नहीं है, जो अन्यथा गठित हो सकता है।
7. अधिनियम की धारा 9(1)(i) के प्रावधान के अनुसार मेरा/ हमारा भारत में कोई व्यवसायिक संबंध नहीं है और किसी भी मामले में मुझे/ हमें भुगतान/ देय राशि भारत में किए गए व्यवसाय संचालन, यदि कोई हो, के लिए निश्चित नहीं है ।
8. मैं /हम पुष्टि करते हैं कि ____ <शेयरधारक का पूरा नाम> का मेरे मामलों/ मामलों को व्यवस्थित करने का मुख्य उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य ये नहीं था कि लागू संधि के तहत उपलब्ध कर लाभ को प्राप्त करें ।
9. इसके अलावा, संधि के तहत राहत के लिए हमारा दावा, इसके तहत लाभ क्लोज की सीमा, यदि कोई हो, को लागू करने से प्रतिबंधित नहीं होगी।

मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं/ करते हैं कि ऊपर की गई घोषणा सत्य और वास्तविक हैं । मैं/ हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं/ करते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी के किसी भी गलत विवरण, अशुद्धि या चूक से उत्पन्न होने वाली किसी भी आयकर मांग (ब्याज, जुर्माना, आदि सहित) की स्थिति में, मैं/ हम ऐसी आयकर मांग (ब्याज, जुर्माना, आदि सहित) के भुगतान और क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होंगे और कंपनी को सभी आवश्यक जानकारी/ दस्तावेज प्रदान करेंगे तथा किसी भी आयकर/ अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष किसी भी कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

..के लिए <पेज का नाम बताएं>

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
<हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम>
<हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पदनाम>